GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार MINISTRY OF RAILWAY/रेल मंत्रालय (Railway Board)

S.No. PC-V/ 5 07 No. PC-V/2011/A/Med/1

RBE No. 69/2014. New Delhi, dated 7 - 07-2014.

The General Manager All Indian Railways & PUs (As per mailing list)

Sub:- Grant of Fixed Medical Allowance to Widowed/Divorced/Unmarried daughter in receipt of family pension- clarification reg.

Some references pointing out doubts regarding admissibility of Fixed Medical Allowance (FMA) to Widowed/Divorced/Unmarried daughter in receipt of family pension has been received in Board's office. In this context, attention is invited to Board's letter No. PC-V/98/I/7/1/1 dt. 21-4-1999 and 01-03-2004 whereby sanction of the President has been accorded to grant of Fixed Medical Allowance to Railway pensioners/ family pensioners residing beyond 2.5 Kms from a Railway hospital /Health Units subject to fulfillment of conditions laid down therein.

From the above, it is evident that Widowed/divorced/unmarried daughters in receipt of family pension being family pensioner are already covered by relevant instructions and may be extended benefit of grant of FMA provided they fulfill all other terms and conditions in this regard.

As regard the date of eligibility for grant of Fixed Medical Allowance to Family Pensioners, it is clarified that in cases where the existing pensioner/family pensioner was in receipt of Fixed Medical Allowance, the family pensioner next-in-line may be allowed Fixed Medical Allowance from the same date from which he/she becomes eligible for family pension, if he/she otherwise fulfills the conditions for grant of Fixed Medical Allowance.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(N.R Singh)

Dy. Director, Pay Commission-V Railway Board.

(Authority: DoP&PW's O.M. No. 4/6/2011-P&PW(D) dated 26.8.2011 and No. 4/25/2008 P&PW(D) dated 2.5.2014)

PC-V/2011/A/Med./1

New Delhi, dated 7 -07-2014-

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड

क्र. सं. पीसी-V/ 507 सं. पीसी-V/2011/ए/मेड./1 आरबीई सं. 69 /2014 नई दिल्ली, दिनांक 7.07.2014

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां (डाक सूची के अनुसार)

> विषय: फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं/अविवाहित पुत्रियों को नियत चिकित्सा भत्ता देने के संबंध में स्पष्टीकरण।

बोर्ड कार्यालय में कुछ ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें फैमिली पेंशन (एफएमए) प्राप्त करने वाली विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं/अविवाहित पुत्रियों को नियत चिकित्सा भत्ता की स्वीकार्यता के संबंध में शंकाओं का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में, बोर्ड के दिनांक 21.4.1999 और 01.03.2004 के पत्र सं. पीसी-V/98/I/7/1/1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाइयों से 2.5 किमी. से अधिक दूर रहने वाले रेलवे पेंशनभोगियों/फैमिली पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता देने की राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा/तलाकशुदा महिला/अविवाहित पुत्रियां संबद्ध अनुदेशों में पहले ही आ जाती हैं और उन्हें एफएमए देने का लाभ दिया जाए बशर्ते कि वे इस संबंध में अन्य निबंधन एवं शर्तें पूरी करती हों।

जहां तक फैमिली पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता देने की पात्रता तिथि का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान पेंशनभोगी/फैमिली पेंशनभोगी नियत चिकित्सा भत्ता प्राप्त किया हो तो यदि उसके बाद वाले फैमिली पेंशनभोगी नियत चिकित्सा भत्ता दिए जाने की सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे उस तारीख से नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाए जिस तारीख से वह फैमिली पेंशन के लिए पात्र हो जाता है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

dinh

(एन. पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V

रेलवे बोर्ड

(दिनांक 26.8.2011 का पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/2011 और दिनांक 2.5.2014 का 4/25/2008 पी एण्ड पीडब्ल्य्(डी))